


तारीख हुक्म	<p>सामोता अनाम मोहन कां० हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्राथम्य फा मु० न० 249/2013</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
22.10.2019	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से अपण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ता श्री सुदेश सामोता एड० को आवाज दिलवाई गई। जिस पर श्री सामोता एड० ने अप्रार्थीगण की ओर से हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।</p> <p>वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थीगण को मूल दावे के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने बाबत अपनी सहमति जाहिर की। अतः वकील प्रार्थीगण की सहमति के आधार पर इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.12.13 के द्वारा जारी रथगन आदेश को मूल दावा के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (लघुहस्ताक्षर युक्त) श्रीमाधोपुर (सीकर) उपरदण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) </p>	

